भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3278

20.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना की प्रगति

3278. **श्री उज्ज्वल देवराव निकमः**

डा. सुमेर सिंह सोलंकी:

श्री तेजवीर सिंहः

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः

श्री दीपक प्रकाशः

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना की प्रगति तथा सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत राज्य-वार ई-बसों के आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के तहत स्थापित भुगतान सुरक्षा ढांचे और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत बसों की तैनाती और संचालन के लिए निर्धारित समय-सीमा और इस योजना के तहत प्रदान किए गए परिचालन समर्थन की अवधि क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा चूक की स्थिति में बकाया वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रत्यक्ष डेबिट अधिदेश तंत्र के संचालन की समीक्षा की है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम स्कीम 28.10.2024 को अधिसूचित की गई थी। कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है:

i. स्कीम के दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित कर दी गई हैं।

ii. 12.03.2026 *तक* 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिजर्व बैंक को डायरेक्ट डेबिट मेंडेट (डीडीएम) प्रस्तुत किया है।

iii. दिनांक 28.02.2026 तक, गृह मंत्रालय की पीएम-ईबस सेवा स्कीम के तहत 6,228 बसों के लिए निविदाएं संपन्न हो चुकी थीं। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा 4720 बसों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए जा चुके हैं।

iv. पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।

v. वित्त वर्ष 25-26 में पीएसएम फंड की स्थापना के लिए सीईएसएल को पहली किश्त में 500 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

आवंटित ई-बसों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) इस स्कीम के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भुगतान सुरक्षा कोष का प्रबंधन करती है। सीईएसएल रियायत समझौतों (सीए) और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करता है। सीईएसएल निधि संवितरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को विकसित करने और सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर ई-बस संचालन को समेकित करने के लिए भी जिम्मेदार है।

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) रियायत समझौतों और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करती है। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति में, सीईएसएल भुगतान सुरक्षा कोष से अनुमोदित राशि को ऑपरेटर के एस्क्रो खाते में संवितरित कर सकता है और बाद में निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित राज्य/प्राधिकरण से लागू अधिभार के साथ वसूली कर सकता है। यदि पीटीए 90 दिनों के भीतर वितरित राशि का (विलंब भुगतान अधिभार) एलपीएस के साथ भुगतान करने में विफल रहता है, तो भारी उद्योग मंत्रालय आरबीआई से डायरेक्ट डेबिट मेंडेट (डीडीएम) लागू करने का अनुरोध करेगा। आरबीआई राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के खाते से राशि डेबिट करेगा और लागू एलपीएस सहित राशि स्कीम कोष में जमा करेगा।

(ग): पीएसएम स्कीम के तहत तैनात प्रत्येक बस के लिए 12 साल तक की अवधि के लिए भुगतान सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाता है। सामान्यत: बसों की तैनाती के लिए समय-सीमा पीटीए और मूल उपकरण विनिर्माता के बीच रियायत समझौतों पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो वर्ष मानी जाती है।

(घ) और (ङ): 12.03.2026 तक, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिजर्व बैंक को डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) प्रस्तुत किया है, जिन्होंने या तो भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव स्कीम या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) की पीएम-ईबस सेवा स्कीम के तहत भाग लिया है। चूंकि बसें तैनाती के चरण में हैं, इसलिए पीटीए द्वारा आज तक किसी भी भुगतान चूक की सूचना नहीं दी गई है और पीएसएम स्कीम के तहत किसी दावे पर कार्रवाई नहीं की गई है।

*****

अनुलग्नक I

आवंटित ई-बसों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बसों की संख्या		
		पीएम ई-ड्राइव (एमएचआई)	पीएम-ईबस सेवा (एमओएचयूए)	कुल
1	गुजरात	1,800	750	2,550
2	कर्नाटक	4,500	750	5,250
3	महाराष्ट्र	2,500	1,609	4,109
4	तेलंगाना	2,200	151	2,351
5	दिल्ली	2,800	-	2,800
6	आंध्र प्रदेश	-	1,050	1,050
7	मध्य प्रदेश	-	972	972
8	मेघालय	-	55	55
9	ओडिशा	-	400	400
10	पंजाब	-	447	447
11	पुदुचेरी	-	75	75
12	राजस्थान	-	1,150	1,150
13	जम्मू एवं कश्मीर	-	200	200
14	असम	-	100	100
15	उत्तराखंड	-	137	137
16	मणिपुर	-	50	50
17	अरुणाचल प्रदेश	-	50	50
18	गोवा	-	50	50
19	हरियाणा	-	450	450
20	बिहार	-	400	400
21	छत्तीसगढ	-	240	240
22	केरल	-	293	293
23	हिमाचल प्रदेश	-	50	50

24	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	50	50
25	चंडीगढ़	-	428	428
26	लद्दाख	-	48	48
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	45	45
	कुल	**13,800**	**10,000**	**23,800**

*****